न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–06/2019–20

प्रथम पक्षः–पैरू महतो, ग्राम–होसिर, थाना–पिपरवार, टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–अंचल अधिकारी, टण्डवा, जिला–चतरा।

1	2	3

22/11/2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया पैरू महतो, पे0–स्व0 बन्धुआ महतो एवं लोकनाथ महतो, पे0–स्व0 बन्धुआ महतो, साकिन–होसिर, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में विपक्षी अंचल अधिकारी, टण्डवा को बनाया गया है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
हेंजदा	45	494	15.97 एकड़
		496	5.26 एकड़
		कुल :–	21.16 एकड़

प्रार्थी ने इस न्यायालय को यह बताया है कि यह भूमि खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल कहकर दर्ज है। बंधुआ महतो, पे0–भुगल महतो को यह भूमि हुकुमनामा बन्दोबस्ती के माध्यम से प्राप्त है, जो उनके पूर्वज हैं। फर्द अमीन रिपोर्ट प्राप्त है। पूर्व में लगान रसीद निर्गत हो रहा था, लेकिन अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा को लगान रसीद निर्गत करने का आदेश देने हेतु इस वाद को लाया गया है।

प्रार्थी के अभ्यावेदन को प्रविष्टी करने के बाद अंचल अधिकारी, टण्डवा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी, टण्डव के द्वारा जांच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्राप्त कर दिया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का अंचल कार्यालय के पंजी–2 में जमाबन्दी नहीं चल रही है। भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास जंगल है, जिसके कारण प्रार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन एवं अंचल अधिकारी, टण्डवा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा सादा हुकुमनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि प्रश्नगत भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास जंगल है। अंचल अधिकारी के कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

में पंजी–2 में इसकी जमाबन्दी भी कायम नहीं है, जिसके कारण उन्हें लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। वास्तव में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल की भूमि पर इस प्रकार की स्थिति में जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश देना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

अतः प्रथम पक्ष के अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर इस वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.16 13:21:33 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner